संख्याः 2602 /VII-2/08-353-उद्योग/04

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर/पिथौरागढ़/
चम्पावत/पौड़ी/चमोली ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 11 जुलाई, 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु जिला योजना डी0आई0सी0 के आवासीय/ अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27 मार्च 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डी0आई0सी0 के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण जिला योजनान्तर्गत रू0 73.93 लाख (रू0 तेहत्तर लाख तिरानब्बे हजार मात्र), की धनराशि निम्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क0सं0	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
1	उधमसिंह नगर	42.93
2	पिथौरागढ़	6.00
3	चम्पावत	20.00
4	पौड़ी	4.00
5	चमोली	1.00
	योग	73.93

2- उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है कि स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कढ़ाई से अनुपालन किया जाय। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से वित्तीय नियमों का उल्लघंन होता हो यह करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव) कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर-130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक: 31.03.2009 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि का मदवार विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2009 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण शासन को उद्योग निदेशालय के माध्यम से प्रत्येक माह प्रेषित किया जायेगा।

6– धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ये जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत हो और जिला योजना में अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परिव्यय के अनुरूप ही हो।

7– उक्त व्यय भालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–23 लेखाशीर्षक 4851–ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 05–डी0आई0सी0 के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण–00–24–वृहद् निर्माण कार्य के मामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27 मार्च, 2008 के प्रस्तर–5 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 261(1)/VII-2/353–उद्योग/04, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
7. महाप्रबन्धक/प्रभारी महा प्रबन्धक।
8. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
9. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–2
12. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।